

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी डॉ. मन्जु आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/19 वाद

श्री मेगा पिता चेना भील, निवासी आर टी ओ के सामने, रघुनाथपुरा,
तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा जी भील, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती लोगरी पुत्री स्व. श्री उदा भील पत्नि श्री लच्छा भील, निवासी शिव कॉलोनी, रेबारियो का गुड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती धापु पुत्री स्व. श्री उदा भील पत्नि श्री लोगर भील, निवासी नवाघर, भुवाणा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री उदा भील, पत्नि श्री गणेश भील, निवासी वाडीया, न्यू भूपालपुरा, खारां कुँआ, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री भगवान भील, निवासी गॉव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
6. सुश्री राजुड़ी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गॉव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री नरेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गॉव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

**वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित:- श्री मनीष मोगरा, अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :09.12.2019

वादी श्री मेगा पिता चेना भील, निवासी आर टी ओ के सामने, रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.) ने प्रतिवादीगण श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा जी भील, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.), श्रीमती लोगरी पुत्री स्व. श्री उदा भील पत्नि श्री लच्छा भील, निवासी शिव कॉलोनी, रेबारियो का गुड़ा, जिला उदयपुर (राज.), श्रीमती धापु पुत्री स्व. श्री उदा भील पत्नि श्री लोगर भील, निवासी नवाघर, भुवाणा, जिला उदयपुर (राज.), श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री उदा भील, पत्नि श्री गणेश भील, निवासी वाडीया, न्यू भूपालपुरा, खारां कुँआ, उदयपुर (राज.), श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री भगवान भील, निवासी गॉव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.),

सुश्री राजुड़ी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गाँव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.), श्री नरेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गाँव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.), राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.19 से वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गिर्वा को 500/- रु० के शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार मण्डल शोभागपुरा, तहसील बड़गाँव के जमाबन्दी संवत् 2065 से 2072 खाता संख्या नई 36 पुरानी 46 आराजी संख्या 104 से 111, 184 से 187, किता 12 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित हैं का उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बँटवाड़ा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त सम्पूर्ण भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के पति/पिता/दादा श्री उदा भील के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

प्रकरण में तहसीलदार बड़गाँव ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/19/263 दिनांक 25.03.19 बँटवाड़ा रिपोर्ट प्रेषित की। जो न्यायालय में दिनांक 04.06.19 को प्राप्त होकर पत्रावली संलग्न हैं। बँटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार वादी प्रतिवादी दोनो को सुचित किया गया। रिपोर्ट पटवारी शोभागपुरा अनुसार प्रतिवादीगणो द्वारा सूचना पत्र लेने से इन्कार कर वक्त बँटवाड़ा मौके पर अनुपस्थित रहे। जिससे मौके व रेकार्ड अनुसार बँटवाड़ा मौतबिरानो के रूबरू तैयार किया गया।

दिनांक 17.09.19 को न्यायालय में वादी उपस्थित एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय समय में प्रतिवादीगणो को तीन बार आवाज लगवायी गई। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। उपस्थित वादी द्वारा प्राप्त बँटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई।

दिनांक 03.12.19 को अधिवक्ता वादी को सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि का बँटवाड़ा किये जाने हेतु कथन किया गया। बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.01.19 में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर जो सहखातेदारी की भूमि थी उसका बँटवाड़ा किये जाने हेतु ही निर्देशित किया गया था। वादीगण द्वारा अपने खाते की भूमि का बँटवाड़ा चाहा गया। जो स्वीकार हैं। बँटवाड़ा सहखातेदारी की भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार किया गया हैं। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी प्रतित नहीं होती हैं। अतः बँटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार:-

1. श्री मेगा पिता चेना भील, निवासी आर टी ओ के सामने, रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) की आराजीयात:-
आ.न. रकबा लगान

104	0.1100	0.51
105	0.0400	0.19
106	0.0600	0.28
107	0.0100	0.05
186	0.0250	0.12
187	0.1700	0.79
कुल किता 6 रकबा 0.4150 लगान 1.94		

2. श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा जी भील, सुश्री राजुड़ी, श्री नरेश पिता भगवान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गॉव रघुनाथपुरा, श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री भगवान भील, निवासी गॉव रघुनाथपुरा, श्रीमती लोगरी पुत्री स्व. श्री उदा भील, निवासी शिव कॉलोनी, रेबारियो का गुड़ा, श्रीमती धापु पुत्री स्व. श्री उदा भील, निवासी नवाघर, भुवाणा, श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री उदा भील, निवासी वाडीया, न्यू भूपालपुरा, खारां कुँआ, उदयपुर हि.ब. खातेदार

आ.न.	रकबा	लगान
108	0.0700	0.32
109	0.0400	0.19
110	0.1200	0.56
111	0.0600	0.28
184	0.1000	0.46
185	0.0150	0.07
कुल किता 6 रकबा 0.4050 लगान 1.88		

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य मौजा रघुनाथपुरा पटवार क्षेत्र शोभागपुरा, तहसील बड़गॉव में स्थित उक्त भूमि का बंटवाड़ा किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(डॉ. मंजु आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
बड़गॉव

अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई (आदेश 20 के नियम 6 व 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपजिला कलक्टर बड़गाँव, उदयपुर मुकाम बड़गाँव उदयपुर पीठासीन अधिकारी डॉ. मंजु आई.ए.एस. मुकद्मा नम्बर 57/15 वाद सीगह वादी श्री मेगा पिता चेना भील, निवासी आर टी ओ के सामने, रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) बनाम प्रतिवादी 1. श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा जी भील, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.), 2. श्रीमती लोगरी पुत्री स्व. श्री उदा भील पत्नि श्री लच्छा भील, निवासी शिव कॉलोनी, रेबारियो का गुड़ा, जिला उदयपुर (राज.), 3. श्रीमती धापु पुत्री स्व. श्री उदा भील पत्नि श्री लोगर भील, निवासी नवाघर, भुवाणा, जिला उदयपुर (राज.), 4. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री उदा भील, पत्नि श्री गणेश भील, निवासी वाडीया, न्यू भूपालपुरा, खारां कुँआ, उदयपुर (राज.), 5. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री भगवान भील, निवासी गाँव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.), 6. सुश्री राजुड़ी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गाँव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.), 7. श्री नरेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गाँव रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.), 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने डॉ. मंजु आई. ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि

1. श्री मेगा पिता चेना भील, निवासी आर टी ओ के सामने, रघुनाथपुरा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.) की आराजीयातः—

आ.न.	रकबा	लगान
104	0.1100	0.51
105	0.0400	0.19
106	0.0600	0.28
107	0.0100	0.05
186	0.0250	0.12
187	0.1700	0.79

कुल किता 6 रकबा 0.4150 लगान 1.94

2. श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा जी भील, सुश्री राजुड़ी, श्री नरेश पिता भगवान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती लेहरी बाई पत्नि स्व. श्री उदा भील निवासी गाँव रघुनाथपुरा, श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री भगवान भील, निवासी गाँव रघुनाथपुरा, श्रीमती लोगरी पुत्री स्व. श्री उदा भील, निवासी शिव कॉलोनी, रेबारियो का गुड़ा, श्रीमती धापु पुत्री स्व. श्री उदा भील, निवासी नवाघर, भुवाणा, श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री उदा भील, निवासी वाडीया, न्यू भूपालपुरा, खारां कुँआ, उदयपुर हि.ब. खातेदार

आ.न.	रकबा	लगान
108	0.0700	0.32
109	0.0400	0.19
110	0.1200	0.56
111	0.0600	0.28
184	0.1000	0.46
185	0.0150	0.07

कुल किता 6 रकबा 0.4050 लगान 1.88

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल शोभागपुरा तहसील बड़गाँव में स्थित उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बड़गाँव राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बँटवाड़ा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनु रूप अन्तिम डिक्री जारी है।

और इस वाद के खर्चे लेखे.....रूपये की राशि..... आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा को दी जावें।

आज तारीख.....माह.....सन्..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश.....

पद.....

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प			प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

